

2020/00008

कम संख्या  
दिनांक आशा या कार्यवाही

24/9/21 राजस्थान सरकार (ग्रामीण विकास) विभाग  
को आदेश नं. 100/2021  
दिनांक 08/09/21 को अंगवली  
प्रशासन विभाग अंगवली 21 में  
काम आदेश अंगवली में  
दिनांक 06/12/21 पर हो।  
पदाकारों को काम जारी हो।

6/12/21

पत्रावली आज प्रशासन शांति के क्षेत्र अंतर्गत  
वेम्प अंगवली में भेजा हुआ जा रही है। व 2  
स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी है। उपस्थित नहीं  
प्रतिवादी है। को पुनः अंगवली अंगवली  
पत्रावली वेम्प माधोगढ़ में दिनांक 7/12/21  
को भेजा है।

(Signature)

7/12/21

पत्रावली आज प्रशासन शांति के क्षेत्र अंतर्गत  
आज वेम्प माधोगढ़ में भेजा हुआ जा रही  
है। व 2 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी है।  
अंगवली रचना अनुपस्थित है। वादीगण  
को तहसील डाकघर (तूंगा से अंगवली अंगवली  
शिफ्ट पर सुना गया। वादीगण को अंगवली  
शिफ्ट पर सुनने के अंगवली तहसील डाकघर  
तूंगा से अंगवली अंगवली व नमस्ते अनुपस्थित  
का वाद अंगवली अंगवली अंगवली। कि अंगवली अंगवली  
पुष्प से अंगवली अंगवली अंगवली अंगवली  
कि अंगवली अंगवली की एक प्रति अंगवली वाद  
अंगवली अंगवली देवी अंगवली अंगवली अंगवली  
के अंगवली अंगवली अंगवली अंगवली अंगवली अंगवली  
अंगवली अंगवली अंगवली अंगवली अंगवली अंगवली

(Signature)

पत्रावली

पत्रावली

सहायक कलेक्टर

सरपंच  
ग्राम पंचायत माधोगढ़  
प.स. तूंगा (जयपुर)

# अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 छीतर		1 मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम अणतपुरा छोलका की ढाणी तह बस्सी जिला जयपुर।
2 प्रभू पुत्रान बिदामा जाति मीणा निवासी ग्राम अणतपुरा छोलका की ढाणी तह बस्सी जिला जयपुर।		2 नायब तहसीलदार तूंगा उप तहसील तूंगा तह बस्सी जिला जयपुर।
		3 तहसीलदार बस्सी तह बस्सी जिला जयपुर

## दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 02/20

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद उर्फ महादेव जाति मीणा निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ढाणी छोलका की पोस्ट तूंगा तह बस्सी जिला जयपुर।		1 छीतर पुत्र बिदामा
		2 प्रभु पुत्र बिदामा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ढाणी छोलका की पोस्ट तूंगा तह बस्सी जिला जयपुर।
		3 उपप्राजियक उप तहसील तूंगा तह बस्सी जिला जयपुर।
		4 नायब तहसीलदार तूंगा, उप तहसील तूंगा तह बस्सी जिला जयपुर।
		5 तहसीलदार बस्सी तह बस्सी जिला जयपुर

## दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 109/20

पत्रावलिया आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प अणतपुरा में पेश हुई । राजस्व वाद उनवान छीतर बनाम मथुरा मु.न. 02/20 व राजस्व वाद उनवान मथुरा बनाम छीतर मु.न. 109/20 में वादग्रस्त भूमि पक्षकार व चाही गई रिलीफ समान होने से दोनों वादों का एक साथ निर्णय किया गया है। वादी के वाद का संक्षिप्तसार इस प्रकार है। वादी ने दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर वादग्रस्त भूमि खसरा न 279, 281, 282, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 320 कुल किता 11 कुल रकबा 4.4762 हेक्टेयर वाके ग्राम अणतपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर का हिस्से अनुसार कब्जे काशत को मध्य नजर रखते हुए विधिवत विभाजन किया जावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण के समयावधि में बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर वादी को साक्ष्य हेतु हिदायत दी । वादी ने साक्ष्य न पेश कर वाद को प्रारम्भिक डिफेंडी करने हेतु निवेदन किया जाने पर दिनांक 25.08.2020 को वादी का वाद प्रारम्भिक डिफेंडी किया गया। वादी का वाद प्रारम्भिक डिफेंडी किया जाने के बाद प्रतिवादिया की ओर से दिनांक 25.09.2020 प्रार्थना पत्र 09आर13 सीपीसी पेश कर दिनांक 25.08.2020 को की गयी प्रारम्भिक डिफेंडी का निरस्त करने हेतु पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बस्सी से ग्राम अणतपुरा की कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र 09आर13 सीपीसी के जवाब पेश करने पर वादी व प्रतिवादी की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस करने के पश्चात प्रतिवादिया का प्रार्थना पत्र 09आर13 सीपीसी स्वीकार कर दिनांक 25.08.2020 को जारी प्रारम्भिक डिफेंडी को निरस्त कर जवाबदावा व साक्ष्य सबूत पेश करने की

  
 सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

प्रतिवादिया को हिदायत दी गयी। दिनांक 28.09.2020 को प्रतिवादिया ने नया वाद मधुरा बनाम छीतर के नाम से पेश कर ग्राम अणतपुरा की वादग्रस्त भूमि खसरा नं 279, 281, 282, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 320 कुल किता 11 कुल रकबा 4.4762 हेक्टेयर वाके ग्राम अणतपुरा व ग्राम हिम्मतपुरा की वादग्रस्त भूमि खसरा नं 90, 146, 152, 215 कुल किता 4 कुल रकबा 1.8462 हेक्टेयर के संबंध में उक्त वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर पुरखा निर्माण को ध्यान में रखते हुए विधिवत विभाजन किया जाने हेतु निवेदन किया। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी द्वारा जवाब पेश करने पर दोनों पक्षों की सहमति से ग्राम अणतपुरा व ग्राम हिम्मतपुरा की वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस पुरखा निर्माण व कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन किये जाने के तहसीलदार बस्सी को आदेश दिये गये। तहसीलदार बस्सी से प्राप्त कुर्रजात पर प्रतिवादिया मधुरा देवी के द्वारा आपत्ति पेश करने पर आपत्ति स्वीकार की जाकर पुन वादग्रस्त भूमियों के तहसीलदार व नायब तहसीलदार तूंगा दोनों को मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन के नियम 18 से 21 आरटीएक्ट की पालना कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बस्सी/तूंगा द्वारा वादी सं 1 व 2 व प्रतिवादिया मधुरा देवी की मौजूदगी में ग्राम अणतपुरा व ग्राम हिम्मतपुरा के पुन विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किये गये तहसीलदार तूंगा से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का अवलोकन करने से ग्राम हिम्मतपुरा के विभाजन प्रस्ताव पर वादी सं 1 व 2 एवं प्रतिवादिया मधुरा देवी ने पूर्व में बने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की व ग्राम अणतपुरा के विभाजन प्रस्ताव पुन उभय पक्षों की उपस्थिति में बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कब्जे काशत को ध्यान में रखते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बनाये गये हैं तथा प्रतिवादिया मधुरा देवी के द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति जाहिर करने के बावजूद भी कुर्रजात रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये।

पत्रावली का अवलोकन एवं वादी सं 1 व 2 को कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति जाहिर करने तथा तहसीलदार तूंगा द्वारा कुर्रजात बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कब्जे काशत को ध्यान में रखते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रतिवादिया द्वारा की गयी आपत्ति को दूर कर पुन कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपस्थित मौतबिरान से जानकारी प्राप्त करने एवं लोक अदालत एवं न्याय हित को ध्यान में रखते हुए वादी का वाद तहसीलदार बस्सी/तूंगा से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख नं 90, 146, 152, 215, कुल किता 4 कुल रकबा 7.06 बीघा अर्थात् 1.8462 हेक्टेयर स्थित ग्राम हिम्मतपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर में से 146, 215, 152, 152/3 कुल किता 4 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र बदामा हि 1/2 जाति मीणा सा देह प्रभू पुत्र बदामा हि 1/2 जाति मीणा सा देह के हिस्से में रहेगी तथा ख नं 90, 215/1, 152/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 हेक्टेयर की भूमि खातेदार मधुरा देवी पत्नि महादेव जाति मीणा सा देह राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा तूंगा जयपुर मूर्तहीन के हिस्से में रहेगी तथा ख नं 152/1 रकबा 0.0162 हेक्टेयर की भूमि शामिलती बदस्तुर जमाबंदी हिस्से में रहेगी।

वादग्रस्त आराजी ख नं 279, 281, 282, 282/1 से 282/7 ख नं 320 कुल किता 11 कुल रकबा 4.4762 हेक्टेयर स्थित ग्राम अणतपुरा तह तूंगा जिला जयपुर में से ख नं 279, 282/1, 282/9, 282/8, 282/12, 320/2 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4878 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र बिदामा जाति मीणा राहिन बीओआई शाखा तूंगा सा छोलका की डायी अणतपुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख नं 282, 282/2, 282/10, 282/6, 282/7, 320/3 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4879 हेक्टेयर की भूमि खातेदार प्रभू पुत्र बिदामा जाति मीणा राहिन बीओआई शाखा तूंगा सा छोलका की डायी अणतपुरा के हिस्से में रहेगी। खसरा नं 282/3, 282/4, 282/5, 282/11, 320/1 कुल किता 5 कुल रकबा

1. 4879 हेतुकेस की बुकि खातेदार मधुसूदेन देवी प्रतिम मर्यादेत प्रकृत मीना प्रतिम एक ही आई बाबा तुम  
 सा छोडकरा की प्रानी अणतपुरा के सिक्के मे पडेगी तथा खुल 281 एकका 0.0128 हेतुकेस की बुकि  
 खातेदारी जमावटी अनुसार सिक्के मे पडेगी। उक्तानुसार साक्षर विचार मे असाव दण्डन की जायेगा  
 की जाये। तदनुसार तुम को सुरेक्षण मे रखी जाये अनुसूचित करे जाये। डिडी एक जाये हो। निर्णय  
 मे डिडी की धारण हेतु तदनुसार जाये हो। निर्णय मे डिडी की एक एक प्रति साक्षर करे उक्तानुसार  
 देवी अणत मीना तुम 100 20 से साथ संलग्न की जाये। तदनुसार केसल सुभान लेका कर  
 तदनुसार दण्डित दण्डन हो

आज दिनांक 17/12/2021 को यह निर्णय प्रकृतानुसार जारी करे जाये। अतिरिक्त लेका मधुसूदेन देवी अणत  
 आस मे सुनाये गया।

  
 प्रमुख अधिकारी  
 एच.टी. वि. वि. वि. वि.

**अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर**  
पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 छीतर		1 मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम अणतपुरा छोलका की ढाणी तह. बस्सी जिला जयपुर।
2 प्रभू पुत्रान बिदामा जाति मीणा निवासी ग्राम अणतपुरा छोलका की ढाणी तह. बस्सी जिला जयपुर।		2 नायब तहसीलदार तूंगा, उप तहसील तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
		3 तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर

**दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

मु0न0 02/20

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद उर्फ महादेव जाति मीणा निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ढाणी छोलका की पोस्ट तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।		1 छीतर पुत्र बिदामा
		2 प्रभू पुत्र बिदामा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ढाणी छोलका की पोस्ट तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
		3 उपपंजियक उप तहसील तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
		4 नायब तहसीलदार तूंगा, उप तहसील तूंगा तह. बस्सी जिला जयपुर।
		5 तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर

**दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

मु0न0 109/20

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 90, 146, 152, 215, कुल किता 4 कुल रकबा 7.06 बीघा अर्थात 1.8462 हेक्टेयर स्थित ग्राम हिम्मतपुरा तहसील तूंगा जिला जयपुर में से 146, 215, 152, 152/3 कुल किता 4 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र बदामा हि. 1/2 जाति मीणा सा. देह प्रभू पुत्र बदामा हि. 1/2 जाति मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 90, 215/1, 152/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.61 हेक्टेयर की भूमि खातेदार मथुरा देवी पत्नि महादेव जाति मीणा सा. देह राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा तूंगा जयपुर मूर्तहीन के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 152/1 रकबा 0.0162 हेक्टेयर की भूमि शामिलती बदस्तुर जमाबंदी हिस्से में रहेगी।

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 279, 281, 282, 282/1 से 282/7, ख.नं. 320 कुल किता 11 कुल रकबा 4.4762 हेक्टेयर स्थित ग्राम अणतपुरा तह. तूंगा जिला जयपुर में से ख.नं. 279, 282/1, 282/9, 282/8, 282/12, 320/2 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4878 हेक्टेयर की भूमि खातेदार छीतर पुत्र बिदामा जाति मीणा राहिन बीओआई शाखा तूंगा सा. छोलका की ढाणी अणतपुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 282, 282/2, 282/10, 282/6, 282/7, 320/3 कुल किता 6 कुल रकबा 1.4879 हेक्टेयर की भूमि खातेदार प्रभू पुत्र बिदामा जाति मीणा राहिन बीओआई शाखा तूंगा सा. छोलका की ढाणी अणतपुरा के हिस्से में रहेगी। खसरा नं. 282/3, 282/4, 282/5, 282/11, 320/1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4879 हेक्टेयर की भूमि खातेदार मथुरा देवी पत्नि महादेव प्रसाद मीणा राहिन एस.बी.आई शाखा तूंगा सा. छोलका की ढाणी अणतपुरा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 281 रकबा 0.0126 हेक्टेयर की भूमि शामिलती जमाबंदी अनुसार हिस्से में रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार तूंगा को कुरंजात व नकशे बाद अनुमोदन भेजे जावे। निर्णय व डिकी की एक-एक प्रति राजस्व वाद उनवान मथुरा देवी बनाम छीतर मु.नं. 109/20 के साथ संलग्न की जावे। ..... निजी

मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....इस मुकददमें का  
 मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।  
 बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07.12.2021 को जारी किया गया।

मोहर  
 ओहदा.....

दस्तख्त.....  
 सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्की के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

.....  
 सहायक कलक्टर  
 बस्सी जिला जयपुर